

पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 345 / 2025

1 हरबंशसिंह पुत्र दयालसिंह जाति जटसिख निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. दर्शनसिंह

2. रामसिंह

3. सुखदेवसिंह

4. परमिन्द्र सिंह

5. गुरदेव सिंह

पि० दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चाहुवाली तहसील

टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

6. कुलजिन्द्र कौर पत्नी सतपाल सिंह

जाति जटसिख निवासीयान चाहुवाली तहसील

7. हरलीन कौर पुत्री सतपाल सिंह

तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

8 नाबालिंग विराज सिंह पुत्र सतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं० 3 बीआरएन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 41/10 में कुल 6.072 है० आराजी में प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 प्रत्येक का 1/160 हिस्सा, सतपाल सिंह का 1/160 हिस्सा तथा बाघकौर के 1/160 हिस्सा में से 7/8 हिस्सा व गुड्डीकौर के 1/160 हिस्सा में से 7/8 हिस्सा की आरांजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकन० चक नं० 3 बीआरएन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 41/10 में से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 व सतपाल सिंह का नाम कलमजन व बाघकौर तथा गुड्डीकौर का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।